!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./14/2025/3648 दिनांक : 23/1/25

:: आ दे श ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए–4(i)(a)130/13/87 दिनांक 18.01.2025 के द्वारा इस न्यायक्षेत्र के निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवायें लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों के विरूद्ध लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध, पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन राजस्थान सेवा नियम के नियम 164–ए के तहत, कॉलम संख्या–4 में अंकित प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अध्यधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापित किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम सेवानिवृत्त कार्मिक	पदस्थापन कार्यालय का नाम	प्रतिमाह देय समेकित पारिश्रमिक
1	2	3	4
1	श्री प्रताप सिंह, से.नि. रीडर ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, बहरोड	26,100/–
2	श्री अमीलाल कुम्हार, से.नि. रीडर ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, बहरोड	23,300/–

उपरोक्त आदेश के सम्बन्ध में पुनर्नियुक्ति की शर्तें :–

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या अन्य किसी प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता कार्मिक(क–2) विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 26.09.2019 के अनुक्रम में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 5(4) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञात होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवाएँ 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

नोट :–

1– उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर संबंधित पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा उनका पुनर्नियुक्ति पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

2– पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों की उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवावें।

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

कमांक : स्था./2025/3649-57 दिनांक : 23/1/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2, बहरोड
2. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, बहरोड
3. उप–कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बहरोड
4. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
5. संबंधित कर्मचारी श्री...
6. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालय को ई–मेल करने हेतु।

23.01.2025
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र